

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:-

/2019

तारीखरजू:-


उनवान:- भवानी सिंह बनाम तहसीलदार वगै०

दावा वावत इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 रा०टि०एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी की और से श्री मदन मोहन <del>शुक्ला</del> एडवोकेट ने दावा वावत इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.03.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
13.3.19	<p>वादी वकील उप०/प्रतिवादीगण की ओरसे पैरोकार सरकार उपस्थित/जबाब पेश करने समय-पाहा/१०.सा.पुमण पर पधार की जबाब पेश होने दि 23.4.19 को पेश हो।</p>
23.4.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में उपस्थ है। अतः पत्रावली गतामुसार दिनांक 12-6-19 को पेश हो।</p>
12.6.19	<p>वादी वकील व पैरोकार सरकार की ओरसे शाफिस कोरको उप०/जबाब पेश करने दिनांक 9.7.19 को पेश हो।</p>
9.7.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गतामुसार दिनांक 30.7.19 को पेश हो।</p>
30.7.19	<p>वादी वकील एवं पैरोकार सरकार उप०/जबाब पेश किया जबाब की प्रति वादी वकील ने प्राप्त की। १०.सा.बाहर पधार की आइन्दा दिनांक 19-8-19 को पेश हो।</p>
19.8.19	<p>वादी वकील उप०/लनकी काम करने 9-9-19 को पेश हो।</p>



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
११-११	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक ३०-११-१९ को पेश हो।</p>
३०-११-१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं हो रुक-रुक कर कई बार आवाज दिलावाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः यह दावा अदम हाजिरे एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुनार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपजिला कलक्टर                      टोडाभीम (करौली)                 </p>